आरईसी लिमिटेड

डेटा गोपनीयता नीति

(दिनांक 31.05.2024 को आयोजित 515वीं बोर्ड की बैठक में निदेशक मण्डल के द्वारा अनुमोदित)

1. नीतिगत विवरण

आरईसी लिमिटेड (जिसे आगे "आरईसी," "हम," "हमें," "हमारा" कहा जाएगा) डेटा गोपनीयता की सुरक्षा के लिए व्यापक नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के महत्व को पहचानता है। यह डेटा गोपनीयता, डेटा गोपनीयता मानकों को नियंत्रित करने वाले लागू कानूनों, विनियमों और उद्योग प्रणालियों का अनुपालन करने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है।

2. उद्देश्य

यह नीति कार्मिकों, ठेकेदारों, विक्रेताओं, ग्राहकों और मूल्य श्रृंखला भागीदारों की गोपनीयता की रक्षा और संवेदनशील डेटा और व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए एक मार्गदर्शक ढांचे के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा, यह नीति इन सिद्धांतों को बनाए रखने में प्रत्येक कार्मिक, ठेकेदार और भागीदारों की साझा जिम्मेदारी पर जोर देती है।

3. अवलोकन

आरईसी की यह डेटा गोपनीयता नीति ("नीति") व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा के प्रसंस्करण से संबंधित नियम और प्रतिक्रियाओं को निर्धारित करती है।

4. परिभाषाएं

(क) **"निजी जानकारी" एवं 'निजी डेटा"** का अर्थ ऐसी जानकारी से है, जिसका संबंध किसी साधारण व्यक्ति से हो।

(ख) निजी डेटा की "**प्रोसेसिंग**" का अर्थ संचालन या संचालन के समूह से होगा जो व्यक्तिगत डेटा या व्यक्तिगत डेटा के सेट पर किया जाता है।

(ग) **"कार्मिक"** का अर्थ आरईसी के वर्तमान अथवा पूर्व कार्मिक से है।

(घ) **"संवेदनशील डेटा"** का अर्थ एनडीए, गोपनीय करारों, बिजनेस डाटा, संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा अथवा चिकित्सीय विवरण और इतिहास, बायोमेट्रिक सूचना, वित्तीय सूचना अथवा अन्य कोई भी ऐसी सूचना जिसे आरईसी लिमिटेड की ओर से गोपनीय घोषित किया गया हो।

(ङ) **"संबंधित व्यक्ति"** का अर्थ आरईसी में कार्मिक, ग्राहक, ठेकेदार, अस्थायी और अन्य कार्मिक और/या आरईसी की ओर से काम करने वाला कोई अन्य अन्य पक्ष, नौकरी के आवेदक और संभावित बोलीदाता से है।

5. दायरा

आरईसी में सभी कार्मिक, ग्राहक, ठेकेदार, सलाहकार, अस्थायी और अन्य कर्मचारी, नौकरी के आवेदक, संभावित बोलीदाता जिनमें अन्य पक्ष से जुड़े सभी कार्मिक शामिल हैं।

कवरेज का दायरा

(क) व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण

आरईसी अपनी संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े उद्देश्यों के लिए संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) का डेटा एकत्र, संसाधित और प्रकटीकरण कर सकता है। आरईसी केवल उन उद्देश्यों के लिए डेटा का उपयोग और प्रकटीकरण कर सकता है जो उचित और वैध हैं। आरईसी ऐसी जानकारी एकत्र करने से पहले उपयोग के उद्देश्य के बारे में संबंधित व्यक्ति की सहमति प्राप्त करेगा।

(ख) व्यक्तिगत और संवेदनशील डेटा का प्रकटीकरण और हस्तांतरण

आरईसी समय-समय पर, संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) के व्यक्तिगत डेटा और संवेदनशील डेटा को अन्य पक्ष, सरकारी निकायों या अन्य मान्यता प्राप्त निकायों को प्रकट और/या हस्तांतरित कर सकता है, जैसा कि किसी भी लागू क्षेत्राधिकार के किसी भी लागू कानून या दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक हो, जैसा कि आरईसी द्वारा आवश्यक समझा जाता है।

(ग) डेटा का अद्यतन

आरईसी सूचना प्रदाताओं को अनुरोध पर उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डेटा की जांच करने की अनुमति देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी व्यक्तिगत डेटा या संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा जो गलत या अपूर्ण पाया जाता है, उसे यथाशीघ्र अद्यतन या परिवर्तित किया जाएगा।

आरईसी संबंधित व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा प्रदान किए गए व्यक्तिगत डेटा या संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा या सूचना की प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(घ) डेटा की सुरक्षा और पहुँच

आरईसी व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी को अनधिकृत पहुँच से बचाने के लिए उपाय करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि पहुँच केवल अधिकृत व्यक्तियों तक ही सीमित हो और उचित उपायों के माध्यम से इसे अनधिकृत या गैर-कानूनी प्रसंस्करण, दुरुपयोग, हानि, नुकसान या क्षति से बचाएगा।

6. अनुपालन और रिपोर्टिंग

आरईसी अनुपालन विभाग इस नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा और इसकी प्रभावकारिता को मापेगा और रिपोर्ट करेगा।

7. नीति की समीक्षा

इस नीति की समीक्षा वार्षिक रूप से की जाती है।

8. शिकायतें

किसी भी शिकायत निवारण के लिए, उपयोगकर्ता/ग्राहक शिकायत निवारण नीति के तहत प्रदान की गई निवारण प्रक्रिया के बारे में शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

****